FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0194 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/09/2024 21:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:40 बजे **Time To (समय तक):** 19:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2024 **Time (समय):** 19:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/09/2024 21:01:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 410 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAYRA PETROL PUMP, SUHAGPURA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PRAKASH DHOLI

(b) Father's Name (पिता का नाम): KAILASH DHOLI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BANJARI, SUHAGPURA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BANJARI, SUHAGPURA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR SALVI		पिता:NAGENDRA	1. BHANDA,KHERWADA,UDAIPUR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2024 समय 12.40 पी.एम. पर श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा को बताया की श्री प्रकाश पिता श्री कैलाश जाति ढोली उम्र 26 साल निवासी गांव बन्जारी तहसील सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ हाल खान्दु कोलोनी बांसवाडा का मेरे मोबाईल पर फोन आया और बताया कि मैं बन्जारी का निवासी हू, जहां पर मेरे पिताजी की पैतृक भूमि हैं। मेरे दादाजी के देहान्त के बाद मेरे ताउजी रकमा ढोली ने उस जमीन को उनके व उनकी पत्नी के नाम करवा लिया हैं और उस में मेरे पिताजी श्री केलाश जी का नाम नहीं जुडवाया हैं। अब वह उस भूमि का आबादी रूपान्तरण करवा रहे हैं। उस आबादी रूपान्तरण को रोकने एवं उस भूमि में मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिए मैने एसडीएम कार्यालय सुहागपुरा में प्रार्थना दिया हैं। उक्त भूमि पर स्टे दिलवाने एवं मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिए आरोपी श्री मुकेश कनिष्ठ सहायक मेरे से 50,000 रूपये मांग रहे हैं। मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं जिस पर मैने उसको बोला आप कहां हो अभि तो उसने बताया की मैं अभि सुहागपुरा में हूं जिस पर मैने उसको ऑफिस आने के लिये बोला तो उसने बोला की मैं अभि ऑफिस नहीं आ सकता हूं आप ही यहा आ जाओ। मामला रिश्वत सम्बन्धि होना पाया जाने पर श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 को हिदायत दी कि तुम सुहागपुरा पहूंच परिवादी श्री प्रकाश से मिल रिश्वत सम्बन्धि प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझा रिश्वत मांग सत्यापन करावें। दिनांक 28.08.2024 समय 07.30 पी.एम. पर श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आया और श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका अवलोकन किया गया एवं श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 ने बताया कि मैं सुहागपुरा पहुंच परिवादी श्री प्रकाश से मिला और रिश्वत सम्बन्धि प्रार्थना पत्र प्राप्त किया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि समझा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय सुहागपुरा के लिये रवाना किया। करीब डेड घण्टे बाद परिवादी ने मुझे आकर टेप रिकॉर्डर दिया। मैने टेप रिकॉर्डर को बन्द किया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध इशारों में बात कर रहा जिससे स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन नहीं हो पाया। आईन्दा पुनः स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन कराया जावेगा। दिनांक 29.08.2024 समय 02.00 पी.एम. पर श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सुहागपुरा के लिये रवाना किया। दिनांक 29.08.2024 समय 10.20 पी. एम. पर श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 बाद रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा में उपस्थित आया और श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा को डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं समय करीब 04.15 पीएम पर सुहागपुरा पहुंच परिवादी श्री प्रकाश से मिला एवं उसे डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि समझा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय सुहागपुरा के लिये रवाना किया। करीब दो घण्टे बाद परिवादी ने मुझे आकर टेप रिकॉर्डर दिया। मैने टेप रिकॉर्डर को बन्द किया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध द्वारा मेरे से पांच हजार रूपये ले लिये एवं और कितने लेगा स्पष्ट नहीं बता रहा हैं कभी 40,000 रूपये एवं कभी 35,000 रूपये मांग रहा हैं जिससे स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन नहीं हो पाया। आईन्दा पुनः स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन कराया जावेगा। जिस हेतु श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा परिवादी को जरिये दुरभाष पाबन्द करवाया कि आप कल दिनांक 30.08.2024 को कार्यालय में उपस्थित होवे। दिनांक 30.08.2024 समय 10.30 ए.एम. पर पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री प्रकाश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा में उपस्थित आया और श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा से मिला जिसे श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र "मुझ प्रार्थी प्रकाश पिता श्री कैलाश जाति ढोली उम्र 26 वर्ष जाति ढोली निवासी बन्जारी सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ हाल मुकाम खान्दु कोलोनी बांसवाडा का रहने वाला हुं मेरा मुल निवास स्थान बंन्जारी गांव हैं। वहां पर मेरे पिताजी की पैतृक भुमि हैं। मेरे दादाजी के दहांत के बाद मेरे ताउजी रकमा ढोली ने उस जमीन को उनके व उनकी पत्नी के नाम करवा लिया और उसमें पिताजी का नाम नहीं जुडवाया अब वह उस भुमि का आबादी रूपान्तरण करवा रहे हैं उस

आबादी रूपान्तरण को रोकने एवं उसमें मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिये मैने एसडीएम कार्यालय सुहागपुरा में प्रार्थना पत्र दिया हैं उक्त भुमि पर स्टे दिलवाने एवं मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिये वहा नोकरी कर रहे श्री मुकेश जी बाबुजी मुझसे 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं और उन्होने कहा हैं कि उक्त राशि उन्हे दुंगा तो वह भूमि रूपान्तरण के मामले में, मैं स्टे दिलवाने में उन्हे कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते हुऐ पकडवाना चाहता हुं मेरा उनसे ना ही कोई बकाया लेन-देन हैं। ना ही आपसी रंजीश हैं। अतः कानूनी कार्यवाही करवाना फरमावें" को पढकर सुनाया और बताया की ये प्रार्थना पत्र तुम्हारी हस्तलिपि से ही लिखा हैं, तो उसने बताया की हां मेरे द्वारा ही लिखा गया हैं। जिस पर श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा परिवादी को बताया कि पूर्व में दो बार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया जिसमें स्पष्ट मांग सत्यापन वार्ता नहीं हुई हैं अतः पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवानी हैं। दिनांक 30.08.2024 समय 01.20 पी.एम. पर श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी श्री प्रकाश के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु सुहागपुरा के लिये रवाना किया गया। दिनांक 30.08.2024 समय 10.30 पी.एम. पर श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आया और श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा को बताया कि मैं एवं परिवादी समय करीब 03.20 पीएम पर सुहागपुरा पहुंचे तथा समय करीब 05.50 पीएम पर मैने परिवादी श्री प्रकाश को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर को चालु कर उसे देकर तहसील कार्यालय सुहागपुरा के लिये रवाना किया। करीब दो घण्टे बाद परिवादी ने मुझे आकर टेप रिकॉर्डर दिया। मैने टेप रिकॉर्डर को बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मेरी संदिग्ध से बात हुई तो उसने मुझसे 2,000 रूपये लिये एवं कहा कि कुल तेरे 40,000 रूपये लगेगे जिसमें से 7,000 तेरे आ गये हैं एवं सोमवार तक 10,000 रूपये दे देना तथा बाकी के बाद में दे देना। जिस पर परिवादी को बताया की चलो ऑफिस चलते हैं साहब को बताते हैं तो परिवादी ने बताया की मेरा सुहागपुरा काम हैं इसलिये मैं अभी नहीं आ सकता हुं। सोमवार को मैं कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। जिस पर मैने श्रीमान् को जरिये दूरभाष हालात निवेदन किये थे तो श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा के निर्देशानुसार परिवादी को 10,000 रूपये की व्यवस्था कर सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। जिस पर श्री ऋषिकेष मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 10.15 ए.एम. पर श्रीमान् राजेन्द्र प्रसाद गोयल उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि श्री ऋषिकेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाड़ा द्वारा की जा रही एक टे्प कार्यवाही में मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी हैं जिसकी अग्रीम टे्प कार्यवाही आप द्वारा की जावेगी । ब्यूरो चौकी बांसवाड़ा से उक्त कार्यवाही में सत्यापन कर्ता कानि. मय टेप रिकॉर्डर के परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ पर पहुंच रहा हैं। जिस पर मेरे द्वारा श्री ऋषिकेश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई उन्होने बताया कि श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 मय परिवादी मय डिजिटल टेप रिकार्डर के रवाना कर रहा हू। टे्प कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से चौकी पर पदस्थापित श्री सूरजमल कानि. को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ के नाम दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत् तहरीर लेकर रवाना किया एवं चौकी पर पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री रतन सिंह पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर को जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 04.00 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार टेलर पिता श्री नन्दलाल जी टेलर निवासी लोहारगली प्रतापगढ़ हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमीक विद्यालय प्रतापगढ़ एवं श्री शान्तिलाल पाटीदार पिता रतनलाल जी पाटीदार निवासी लालपुरा मार्ग थड़ा तहसील व जिला प्रतापगढ़ हाल अध्यापक लेवल-2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादोला कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय के कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 02.09.2024 समय 04.30 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा डूंगरपुर ब्यूरो जाप्ता श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. नं. 189 एवं श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 कार्यालय में उपस्थित आया जिन्हे की जा रही टे्प कार्यवाही में शामील होने की हिदायत दी गई। दिनांक 02.09.2024 समय 05.30 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी बांसवाड़ा के कानि. श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी कार्यालय में उपस्थित हुये एवं श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 ने परिवादी द्वारा पेश हस्त लिखित रिपोर्ट एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 ने बताया कि इस टे्प कार्यवाही में दिनांक 28,29 एवं 30.08.2024 कुल तीन मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी हैं जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई हैं। जिस पर मेरे द्वारा टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो पाया कि स्पष्ट मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी हैं। परिवादी ने दरियाप्त बताया कि मैं गांव बन्जारी तहसील सुहागपुरा का निवासी हू, जहां पर मेरे पिताजी की पैतृक भूमि हैं। मेरे दादाजी के देहान्त के बाद मेरे ताउजी रकमा ढोली ने उस जमीन को उनके व उनकी पत्नी के नाम करवा लिया हैं और उस में मेरे पिताजी श्री केलाश जी का नाम नहीं जुडवाया हैं। अब वह उस भूमि का आबादी रूपान्तरण करवा रहे हैं। उस आबादी रूपान्तरण को रोकने एवं उस भूमि में मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिए मैने

एसडीएम कार्यालय सुहागपुरा में प्रार्थना दिया हैं। उक्त भूमि पर स्टे दिलवाने एवं मेरे पिताजी का नाम जुडवाने के लिए आरोपी श्री मुकेश कनिष्ठ सहायक मेरे से 50,000 रूपये(पचास हजार रूपये) मांग रहे थे। मांग सत्यापन वार्ताओं में मेरी संदिग्ध से बात हुई तो उसने मुझसे 7,000 रूपये लिये एवं कहा कि कुल तेरे 40,000 रूपये लगेगे जिसमें से 7,000 तेरे आ गये हैं एवं सोमवार तक 10,000 रूपये दे देना तथा बाकी के बाद में दे देना। मैं 10,000 -रूपये की व्यवस्था कर साथ में लाया हूं जो पेश हैं। इस समय राजकीय कार्यालय समय समाप्त होने से संदिग्ध के मिलने की सम्भावना नहीं होने से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं हैं। अतः आईन्दा अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं रिश्वत राशि 10,000 रूपये को श्री सुरजमल कानि. से सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया एवं परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 03.09.2024 को समय 03.30 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने कि हिदायत देकर रवाना किया गया। एवं ब्यूरो जाप्ता डूंगरपुर को भी कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। दिनांक 03.09.2024 समय 03.30 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल टेलर व्याख्याता, श्री शान्तिलाल अध्यापक एवं परिवादी श्री प्रकाश ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया जाकर आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री प्रकाश द्वारा पेश कि गई रिपोर्ट को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया जिस पर श्री सूरजमल कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया और गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की गई की पुष्टि की, फर्द ट्रांसक्रिप्टें रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 03.09.2024 समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रकाश को आरोपी श्री मुकेश कुमार सालवी कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार है:- क्र.स. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500/- रूपये का एक नोट 3 QC 354549 02 500/- रूपये का एक नोट 8 DV 478216 03 500/- रूपये का एक नोट 0 AA 897871 04 500/- रूपये का एक नोट 6 CN 075276 05 500/- रूपये का एक नोट 9 SM 594688 06 500/- रूपये का एक नोट 7 KH 104358 07 500/- रूपये का एक नोट 1 LM 061153 08 500/- रूपये का एक नोट 6 DE 371732 09 500/- रूपये का एक नोट 8 MS 441348 10 500/- रूपये का एक नोट 6 BE 021674 11 500/- रूपये का एक नोट 6 NP 047943 12 500/- रूपये का एक नोट 9 DB 778198 13 500/- रूपये का एक नोट 4 GQ 786410 14 500/- रूपये का एक नोट 8 RS 982845 15 500/- रूपये का एक नोट 4 KP 075091 16 500/- रूपये का एक नोट 1 CT 135858 17 500/- रूपये का एक नोट 8 VC 519524 18 500/- रूपये का एक नोट 9 BQ 124892 19 500/- रूपये का एक नोट 2 UU 339159 20 500/- रूपये का एक नोट 8 CR 195295 परिवादी श्री प्रकाश द्वारा पेश किये गये उपरोक्त समस्त नोटो पर श्री धनराज कानि. चालक नं. 502 से कार्यालय कक्ष के मालखाने से रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटके दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उपरोक्त नोटों को परिवादी श्री प्रकाश की पहनी हुई पेन्ट के आगे की बायी जेब में श्री धनराज कानि. चालक से कोई शैष नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री सूरजमल कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया उसमें श्री बाबूलाल कानि. के हाथों की अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री धनराज की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीद्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को धनराज चालक कानि. बेल्ट नं. 502 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री धनराज को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ

फेंककर या श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 के मोबाईल नम्बर पर मीस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सत्यापनकर्ता कानि. श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 के मोबाईल के अतिरिक्त समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के मोबाईल कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखवाये गये। दिनांक 03.09.2024 समय 05.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाश को स्वयं की निजी मोटरसाईकल एवं श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555, श्री नारायण लाल स.प्र.अ., श्री बाबुलाल कानि., श्री वीर विक्रम सिंह कानि. नं. 189 को प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय के लिए रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अनिल कुमार, श्री शान्तिलाल एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सूरजमल कानि., मय टेम्प बॉक्स व आवश्यक संसाधन सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो इकाई से रवाना हुए। दिनांक 03.09.2024 समय 05.36 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा तहसील कार्यालय सुहागपुरा के आस पास पहुच परिवादी श्री प्रकाश को श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय सुहागपुरा की ओर रवाना किया गया तथा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. नं. 189, श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 को भी परिवादी के पिछे-पिछे तहसील कार्यालय सुहागपुरा की ओर रवाना किया तथा अपने-अपने प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता के गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के इशारे के इन्तजार में रहे। दिनांक 03.09.2024 समय 07.35 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय करीब 06.24 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश ने उसके मोबाईल नं0 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया की श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक ने मुझे अपने कार्यालय से एक सफेद कागज दिया जिसमें रिश्वत राशि लपेट कर टेबल पर रखने हेतु बोला जिस पर मैने उक्त कागज में रिश्वत राशि लपेट कर उनके टेबल पर रख दी और मैं सुहागपुरा बस स्टेण्ड पर आ गया हूं, श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक भी अपनी निजी कार से सुहागपुरा बस स्टेण्ड की तरफ ही आ रहे हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने-अपने वाहनों से श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक का पिछा किया तो उसने अपनी कार नायरा पेट्रोल पम्प के समाने रोकी, जैसे ही हम कार के पास पहुंचे तो परिवादी भी वहा पर आ गया, मुझे कार चला रहे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक हैं। जिन्होने मुझसे अपने कार्यालय कक्ष में एक सफेद कागज लपेटकर रिश्वत राशि टेबल पर रखने के लिये बोला था। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुये उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री मुकेश कुमार सालवी पिता श्री नगेन्द्र जाति सालवी, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भाणदा, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ होना बताया। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री प्रकाश से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने कार की पिछली सीट के उपर पडे० एक सफेद कागज के बण्डल की तरफ ईशारा कर बताया की इसमें ही रिश्वत राशि पड़ी हैं। जिस पर मैने स्वतन्तत्र गवाहान श्री शान्तिलाल से उक्त सफेद कागज के बण्डल को अपने पास रखने हेतु बोला जिस पर उन्होने अपने पास रख लिया। मौके पर मेन रोड़ होना एवं लोगो की अधिक आवाजाही होने के कारण आरोपी श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक को उसी अवस्था में डिटेन कर मन अतिरिकत पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पास ही स्थित पुलिस थाना सुहागपुरा में पहुंचे जहां श्री रमेश चन्द्र पुलिस उप निरीक्षक थानाधिकारी सुहागपुरा मिले जिनको अपने मन्तव्य से अवगत कराया ओर अपने अग्रीम कार्यावाही शुरू करते हुये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक से पुछा की आपने परिवादी श्री प्रकाश से उक्त रिश्वत राशि किस बात के लिये ली हैं, जिस पर आरोपी ने बताया कि इसके पिताजी की पैतृक भूमि हैं। इसके दादाजी के देहान्त के बाद ताउजी रकमा ढोली ने उस जमीन को उनके व उनकी पत्नी के नाम करवा लिया हैं और उस में इसके पिताजी श्री केलाश जी का नाम नहीं जुडवाया हैं। अब वह उस भूमि का आबादी रूपान्तरण करवा रहा हैं। उस आबादी रूपान्तरण को रोकने एवं उस भूमि में इसकेठे पिताजी का नाम जुडवाने के लिए इसने मुझे पैसे दिये थे जो मेरे पास से मिले मैने वो पैसे मेरे लिये ही लिये हैं। साहब गलती हो गई माफ करना कहते हुये चुप हो गया। तत्पश्चात श्री सुरजमल कानि. से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। आरोपी की कार के पिछली सीट से मिली एक सफेद कागज के बण्डल में रिश्वत राशि जो स्वतन्त्र गवाह श्री शान्तिलाल के पास हैं, उक्त बण्डल को स्वतन्त्र गवाह श्री शान्तिलाल से खुलवाया गया तो उसमें 500-500 रूपये के बीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल दस हजार रूपये बरामद हुए जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया। जिन्हे उपस्थितिन के समक्ष ही उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री सूरजमल कानि. से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। उसके बाद जिस सफेद कागज में रिश्वत् राशि बरामद हुई उक्त सफेद कागज का अवलोकन किया गया तो उक्त सफेद कागज माननीय उपखण्ड न्यायालय सुहागपुरा जिला प्रतापगढ में लम्बित वाद संख्या 12/23 एवं 11/23 उनवान मोहनी वगैरा बनाम शंकर में वाद आपसी समझोता होने से निरस्त करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र था। जिसका नियमानुसार धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री सुरजमल कानि. से टेम्प बॉक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर पुलिस थाना सुहागपुरा से साफ पानी मंगवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर

इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में साफ रूई को हल्का भीगोकर उक्त सफेद कागज जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उसके उपर घुमाया जाकर रूई को उक्त घोल में डुबोया गया तो उसका रंग गुलाबी हो गया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित करा सीलचिट किया गया एवं चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त सफेद कागज को सुखा कर एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में डालकर सफेद कपड़े की थैली में पैक कर सीलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमार से परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उसने बताया इससे संबंधित रिकार्ड मेरे कार्यालय कक्ष में पडी अलमारियो के अन्दर पडा हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, आरोपी एवं श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 कानि. व श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 के पुलिस थाना सुहागपुरा के सामने स्थित तहसील कार्यालय पहुचे, जहा पर आरोपी ने अपने कार्यालय कक्ष में पडी अलमारियों में से मूल रिकॉर्ड एवं तहसील कार्यालय सुहागपुरा के पंजियन प्रतिलिपि प्राप्त रजिस्टर वर्ष 2022 निकाल कर पेश किया, जिसका अवलोकन किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। उसके बाद मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के वापस पुलिस थाना सुहागपुरा पर आये। तत्पश्चात रात्री का समय हो जाने एवं पुलिस थाने पर विद्युत सम्बन्धि परेशानियां होने की सम्भावना होने से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाने पर किया जाना सम्भव नही होने के कारण आरोपी को डिटेन किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर की जावेगी। दिनांक 03.09.2024 समय 09.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार श्री बाबुलाल कानि.393 श्री वीर विक्रम सिंह कानि नं. 189, एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अनिल टेलर, श्री शान्तिलाल तथा ब्यूरो जाब्ता श्री नारायण लाल स.प्र.अ., श्री सूरजमल कानि एवं श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 मय टेम्प बॉक्स व जब्तशुदा आर्टिकल्स, आवश्यक संसाधन तथा परिवादी श्री प्रकाश के अपने-अपने वाहनो प्राईवेट वाहनो से पुलिस थाना सुहागपुरा से ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ के लिये रवाना हुये। दिनांक 03.09.2024 समय 10.15 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय टेम्प बॉक्स व जब्तशुदा आर्टिकल्स, आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे। दिनांक 03.09.2024 समय 10.30 पी.एम..पर दर्ज रहे कि दिनांक 28-08-24 को समय 03.08 पीएम पर रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रकाश की एवं आरापी श्री मुकेश कुमार के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 03.09.2024 समय 11.50 पी.एम. पर दर्ज रहे कि दिनांक 29-08-24 को समय 04.29 पीएम पर रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रकाश की एवं आरापी श्री मुकेश कुमार के मध्य आरोपी के निजी वाहन में हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 04.09.2024 समय 12.40 ए.एम. पर दर्ज रहे कि दिनांक 30-08-24 को समय 05.53 पीएम रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रकाश एवं आरापी श्री मुकेश कुमार के मध्य आरोपी के निजी वाहन में हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 द्वारा कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 04-09-2024 समय 02.30 ए.एम. पर दर्ज रहे कि दिनांक 03-09-2024 को समय 05.35 पीएम पर रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री प्रकाश एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार के मध्य आमने सामने आरोपी के कार्यालय में हुई वार्ता जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 04-09-2024 समय 03.30 ए.एम. पर दर्ज रहे कि दिनांक 28-08-24, 29.08.24 एवं 30.08.24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रकाश एवं आरोपी श्री मुकेश कुमार के मध्य हुई वार्ताओं को, जिन्हे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा

तीसरी पेनड्राईव पर आई.ओ. लिखा गया। मूल मेमोरी कार्ड की हैश वेल्यू निकाली गई एवं मूल पेनड्राईव की हैश वेल्यू निकाल कर मिलान किया गया तो समान पाई गई। मूल पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा आई.ओ. पेनड्राईव को भी कवर में रखकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 04-09-2024 समय 03.50 ए.एम. पर आरोपी श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री राजेश कुमार कानि. नं. 555 कानि. के मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बाबुलाल कानि. नं. 393 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। दोनों पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 04-09-2024 समय 4.10 ए.एम. पर आरोपी श्री मुकेश कुमार सालवी पिता श्री नगेन्द्र जाति सालवी, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भाणदा, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसकी पत्नी श्रीमती पुनम पछोला को जरिये मोबाईल दी गई। आरोपी श्री मुकेश कुमार सालवी पिता श्री नगेन्द्र जाति सालवी, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भाणदा, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार आईन्दा अग्रीम कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन-देन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफथेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व कागज जिसमें रिश्वत राशि लपेटकर ली उसका धोवन एवं फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि बरामदगी, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री मुकेश कुमार सालवी पिता श्री नगेन्द्र जाति सालवी, उम्र 39 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट भाणदा, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ द्वारा परिवादी की भूमि पर स्टे दिलवाने एवं परिवादी के पिताजी का नाम जुडवाने के लिए 50,000 रूपये मांग कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 40,000 रूपये लेने हेतु सहमत होते हुए 7,000 रूपये लेने एवं दिनांक 03.09.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही 10,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार सालवी पुत्र नगेन्द्र सालवी उम्र 39 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट भाणदा, तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 100 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1048-51 दिनांक 06.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 जिला कलेक्टर प्रतापगढ़। 3 श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)